संख्या- **1128**/2026/2503/22-2-2025-17(1070)/2023

प्रेषक,

कमलेश कुमार
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 21 अगस्त, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार बरेली में निरुद्ध सिद्धदोष बंदी सरवन कुमार मौर्य पुत्र श्री रामहेत, निवासी जनपद-सीतापुर की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-47880/प्रो0अनु0(2)-309/2025 (बैठक दिनांक 19.12.2025), दिनांक 30.12.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार बरेली में निरुद्ध सिद्धदोष बंदी सरवन कुमार मौर्य पुत्र श्री रामहेत, ग्राम-कालूपुर मजरा-सडिला, थाना-मछरेहटा, जनपद-सीतापुर का निवासी है। बन्दी द्वारा दिनांक 19.03.2006 को घर के बाहर खेलती हुयी 01 वर्ष की पीड़िता (लड़की) को टॉफी दिलाने के बहाने ले जाकर उसके साथ बलात्कार कारित किया गया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-796/2006 में धारा-376 आई०पी०सी० के अन्तर्गत मा० अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0-08, सीतापुर के आदेश दिनांक-16.09.2008 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ के आदेश दिनांक 07.07.2022 द्वारा बन्दी की अपील निर्णीत करते हुये आजीवन कारावास को यथावत रखा गया। बंदी द्वारा दिनांक 15.12.2025 तक बंदी द्वारा अपरिहार 19 वर्ष, 08 माह, 25 दिन तथा 25 वर्ष, 03 माह, 04 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी की आयु दिनांक 15.12.2025 तक 41 वर्ष, 01 माह है।

3- पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में अंकन करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी। क्रिमिनल रिट याचिका संख्या-48/2014 भारत संघ बनाम वी० श्रीहरन उर्फ मुर्गन व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.12.2015 के अनुपालन में मा० दण्डन न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- सलाहकार समिति का अभिमत है कि बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता व बन्दी को कारागार से रिहा करने से समाज में भय का वातावरण व्याप्त होने, लोक व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-473 (दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 432) सपठित जेल मैनुअल 2022 के प्रस्तर-180 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी सरवन कुमार मौर्य पुत्र श्री रामहेत को उ०प्र० जेल मैनुअल प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नॉमिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार बरेली में निरुद्ध सिद्धदोष बंदी सरवन कुमार मौर्य (बन्दी सं0-45153) पुत्र श्री रामहेत, निवासी जनपद-सीतापुर की जेल मैनुअल के प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-**1128** /2026/2503(1)/22-2-2025 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।